राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प. 2(23)नविवि / पाली / 2018 जयपुर, दिनांक 2 JUL 2018

आदेश

नगर परिषद, पाली द्वारा वर्ष 1987 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों (ई.डब्लू.एस.) वर्ग की योजना बनाकर भूखण्ड आवंटित किये गये थे। जिनमें से 89 आवंटियों से राशि जमा कर भूखण्ड अनुज्ञा पत्र जारी किये गये थे। उक्त योजना की भूमि पर कई लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया तथा नया गॉव जगदम्बा कॉलोनी के नाम से कच्ची बस्ती बस गई थी।

राजस्व ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 629 एवं 630 का कुल रकबा 249.12 बीघा भूमि को जिला कलक्टर, पाली द्वारा दिनांक 21.06.2018 को नगर विकास न्यास, पाली को आवंटन किया है। किन्तु इससे पूर्व नगर परिषद, पाली द्वारा सर्वे एवं ई.डब्लू.एस. वर्ग की योजना के तहत राशि जमा कर ली गई थी। नगर परिषद, पाली द्वारा संबंधित रिकार्ड नगर विकास न्यास, पाली को उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण नगर विकास न्यास, पाली द्वारा इस संबंध में कब्जाधारियों को नियमन एवं पट्टे जारी नहीं किये गये है। अतः इस भूमि को न्यास, पाली से पुनः नगर परिषद, पाली को हस्तान्तरित किया जाता है, ताकि नगर परिषद, पाली द्वारा नियमानुसार पट्टे देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके एवं आवंटियों को भूखण्ड का कब्जा देने की कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, ~~शासन~~ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, पाली।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय